न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

बिड़दी बनाम अणची वगैरा
दावा मु०नं० 154/2018

02-02-2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित.। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आपत्तिकर्ता प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 5 का कथन है कि जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर पेश किया गया है उसमें अकेले वादिया का विभाजन किया गया है अन्य सभी खातेदारान के मध्य विभाजन नही किया गया है इसलिये विभाजन प्रस्ताव अपूर्ण है। मौके पर मेरे द्वारा उत्तर दिशा में 15 फूट का रास्ता छोड़ा गया है उसे विभाजन प्रस्ताव में नही दिखाया गया है इस सम्बंध में मेरे द्वारा जबाब दावा व फौटो भी पेश किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जावें एवं विभाजन प्रस्ताव मौके के विपरीत व अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जावें एवं पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

दौराने बहस वकील वादी का कथन है कि जो आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है वह दिनांक 02.12.2020 का पेश किया गया है जबकि विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.12.2020 को तैयार किया गया है। दिनांक 02.12.2020 का केवल तहसीलदार जी का फारवर्ड लेटर है। प्राथमिक डिक्री से पूर्व पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया। मेरे द्वारा शिघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था क्योंकि वादिया अपना 1/2 हिस्से का अलग से विभाजन करवाना चाहती थी। प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.2020 को सहमति से जारी हुई है। विभाजन प्रस्ताव आने के बाद जबाब दावा पेश किया गया है जो केवल प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया गया है। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के पिता व पति फूलसिंह व बाबूलाल आपत्तिकर्ता का 1/2 हिस्सा एक साथ दर्ज है। वादिया द्वारा केवल अपने 1/2 हिस्से की सहायता चाही गई है। मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। आपत्ति निराधार व प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया गया है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें व विभाजन प्रस्ताव अनुसार एफ.डी. जारी कि जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 19.03.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता/ प्रतिवादी सं. 5 दिनांक 19.03.2019 को जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आया है एवं जबाब प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर लिये गये है। दिनांक 19.10.2020 तक पर्याप्त व समुचित अवसर दिये जाने व अन्तिम रूप से मौका दिये जाने के उपरान्त भी जबाब प्रस्तुत नही किया गया है तथा दिनांक 27.10.2020 को उभय पक्षों की सहमति से दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया है। वादिया द्वारा अपने वादपत्र में जो सहायता चाही गई है वह राजस्व ग्राम चला के भूमि ख.न. 1758 रकबा 1.23 है. के पूर्व में हुये विभाजन अनुसार उत्तरी और के हिस्से की भूमि की अपने हक में अलग से विभाजन किया ज[illegible] किये जाने बाबत सहायता चाही है। चूंकि वादिया विवादित भूमि के [illegible] की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है त[illegible] से विभाजन करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है।

जहा तक अन्य प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन कर प्रश्न [illegible] जब वादिया ने अपने हिस्से का अलग से विभाजन किये जाने बाबत वाद प्रस्तुत किया है एवं प्रतिवादी सं 5 उपस्थित भी आ चुका है तो यदि उसे वादिया के विभाजन

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:17 IST
Reason: SelfAttested

के साथ अपने हिस्से का भी विभाजन करवाना था तो वह भी वाद में काउन्टर क्लेम पेश कर अपने हिस्से का विभाजन करवा सकता था परन्तु ना तो उसके द्वारा वाद में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया एव ना ही काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जब प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम –1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्थ/प–51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार मुताबिक कब्जा काश्त व रिकार्ड अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 5 एवं वादीपक्ष की सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अतः सहमति के पश्चात जबाब व काउन्टर क्लेम पेश करने को प्रकरण में देरीनां करने के अतिरिक्त अन्य कोई उदे्श्य/औचित्य नही हो सकता है। अतः इस स्टेज पर प्रस्तुत जबाब एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नही है। प्रश्नगत भूमि 2/3 हिस्से के अन्य खातेदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। इससे यही प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 5 द्वारा जो आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रकरण की इस स्टेज पर प्रस्तुत किया गया है वह केवल प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा कब्जा काश्त व रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में किसी प्रकार की खामी होना नही पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी सं. 5 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पर खारिज किया जाता है एवं जबाब को प्रकरण की इस स्टेज पर रिकार्ड पर नही लिया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादिया अन्तिम रूप से डिक्री जाकर वादिया व प्रतिवादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री [illegible] जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब [illegible]

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:17 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)